भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 522

जिसका उत्तर 6 फरवरी, 2023/17 माघ, 1944 (शक) को दिया गया

स्वदेशी मुद्रा में व्यापार

522. श्री पी. सी. मोहन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार स्वदेशी मुद्रा के व्यापार में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा "रुपए के व्यापार" को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क) से (ग): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने "भारतीय रुपये (आईएनआर) में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता" पर दिनांक 11.7.2022 के ए.पी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 10 आरबीआई/2022-2023/90 के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इनवॉइस भारतीय रुपये में तैयार करने और भुगतान करने की अनुमति दी है। परिपत्र में यह निर्धारित किया गया है कि व्यवस्था के अंतर्गत सभी निर्यात और आयात को रुपये (आईएनआर) में दर्शाया जा सकता है और इसका इनवाइस बनाया जा सकता है और व्यवस्था के अंतर्गत व्यापारिक लेन-देन संबंधी समझौते आईएनआर में किए जा सकते हैं। आरबीआई भारत से निर्यात पर बल देते हुए वैश्विक व्यापार की वृद्धि को बढ़ावा देने और वैश्विक कारोबारी समुदाय की आईएनआर में रुचि को बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए एक व्यवस्था लागू की है। आरबीआई के दिनांक 11.7.2022 के परिपत्र के अनुसार आरबीआई द्वारा लागू की गई संरचना भारत के साथ भारतीय रुपये (आईएनआर) में कारोबार करने के इच्छुक सभी भागीदार देश के लिए लागू है।

इसके अलावा, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने आरबीआई के दिनांक 11.7.2022 के परिपत्र के अनुरूप भारतीय रुपए (आईएनआर) में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते अर्थात् भारतीय रुपए में इनवॉइस तैयार करने, निर्यात/आयात के भुगतान और समझौता करने की अनुमति देने के लिए दिनांक 16.9.2022 की अधिसूचना सं. 33/2015-20 के माध्यम से विदेश व्यापार नीति में एक उपबंध किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्यात लाभ प्रदान करने और भारतीय रुपए में निर्यात का भुगतान प्राप्त करने हेतु निर्यात संबंधी दायित्वों को पूरा करने के लिए डीजीएफटी की दिनांक 9.11.2022 की अधिसूचना 43/2015-20 और दिनांक 9.11.2022 की सार्वजनिक सूचना 35/2015-20 के माध्यम से विदेश व्यापार नीति में और बदलाव किए गए हैं।

*****